न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– उज्ज्वल राठौड़ , I.A.S.

प्रकरण संख्या –143/2003 (अपील)

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा–राज.
–अपीलाण्ट.

बनाम

श्री प्रकाशसिंह पुत्र रामकृष्ण कछवाह निवासी कोटा
–रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लै0 रे0 एक्ट बनाराजगी आदेश दिनांक 15.02.1996 नामा0 सं0 45 न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) लाडपुरा, जिला कोटा

निर्णय

दिनांक– 10.11.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मण्डाना द्वारा आदेश क्रमांक/264–65 दिनांक 18.3.1996 के अनुसार नामा0 सं0 48 दिनांक 18.4.1996 से आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना किये बिना ही गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया ।

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील तहसीलदार लाडपुरा द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 20.05.2003 को पेश कर कथन किया है कि ग्राम दौलतगंज उर्फ नयागांव तहसील लाडपुरा दिनांक 22.6.1962 को खसरा नम्बर 249 की 15 बीघा भूमि श्री प्रकाश सिंह पुत्र रामकृष्ण कछवाह साकिन कोटा के नाम आवंटन हुई जिसके नवीन खसरा नम्बर 235 रकबा 2.02 हे0 एवं खसरा नम्बर 236 मी0 की 0.38 हे0 कुल 2.40 हे0 भूमि का नामा0 संख्या 45 दिनांक 15.2.1996 को अर्थात 34 वर्ष बाद गैर खातेदारी का तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया गया जिस पर नायब तहसीलदार मण्डाना के आदेश क्रमांक/264–65 दिनांक 18.3.1996 के अनुसार नामा0 सं0 48 दिनांक 18.4.1996 के उक्त आवंटी के नाम आवंटन शर्तो की पालना किये बिना ही गैर खातेदारी स्वीकृत करने के 2 माह पश्चात ही खातेदारी का नामा0 स्वीकृत कर दिया गया है जो आवंटन शर्तो की अवहेलना करने की श्रेणी में आने से नामान्तकरण निरस्त योग्य है । यह भूमि सड़क व शहर सीमा में होने से उक्त भूमि में विभिन्न व्यक्तियों को भू माफियों द्वारा प्लॉट काटकर विक्रय किये जा रहे है, जिनको तत्काल प्रभाव से रोका जाना उचित होगा । नायब तहसीलदार को आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने पर भी खातेदारी अधिकार देने के अधिकार भी राज्य सरकार द्वारा नायब तहसीलदार को प्रदत्त नहीं है, इस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर खातेदारी अधिकार दिये गये है जो नियम के विपरीत है । उक्त भूमि रेकार्ड के आधार पर पडत पडी हुई है कभी फसल नहीं हुई है पथरीली है जो काबिल काश्त भी नहीं है । उक्त भूमि पर खातेदारी महज इसलिए दिये

गये है कि भूमि की रजिस्ट्री होकर केताओं को ऋण उपलब्ध हो सकें । उक्त बिन्दुओं को मध्य नजर रखते हुये रेकार्ड के आधार पर निरस्त फरमाकर भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश फरमावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये, किन्तु पता स्पष्ट नहीं होने से बार बार नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुए । तत्पश्चात हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना का नोटिस कमांक/962 दिनांक 30.4.2009, दिनांक 12.10.2010,दिनांक 18.4.2011, से सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं विवादित भूमि पर चस्पांदगी एवं मुश्तहरी करवाई गई, इसके बाद भी अप्रार्थी उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय हेतु पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. पेरोकार सरकार द्वारा अपील मेमों अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम दौलतगंज उर्फ नयागांव तहसील लाडपुरा दिनांक 22.6.1962 को खसरा नम्बर 249 की 15 बीघा भूमि श्री प्रकाश सिंह पुत्र रामकृष्ण कछवाह साकिन कोटा के नाम आवंटन हुहे जिसके नवीन खसरा नम्बर 235 रकबा 2.02 हे0 एवं खसरा नम्बर 236 मी0 की 0.38 हे0 कुल 2.40 हे0 भूमि का नामा0 संख्या 45 दिनांक 15.2.1996 को अर्थात 34 वर्ष बाद गैर खातेदारी का तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया गया जिस पर नायब तहसीलदार मण्डाना के आदेश कमांक/264–65 दिनांक 18.3.1996 के अनुसार नामा0 सं0 48 दिनांक 18.4.1996 के उक्त आवंटी के नाम आवंटन शर्तो की पालना किये बिना ही गैर खातेदारी स्वीकृत करने के 2 माह पश्चात ही खातेदारी का नामा0 स्वीकृत कर दिया गया है जो आवंटन शर्तो की अवहेलना करने की श्रेणी में आने से नामान्तकरण निरस्त योग्य है । नायब तहसीलदार द्वारा क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर खातेदारी अधिकार दिये गये है जो नियम के विपरीत है । उक्त भूमि रेकार्ड के आधार पर पडत पडी हुई है कभी फसल नहीं हुई है पथरीली है जो काबिल काश्त भी नहीं है । वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान पर प्लॉटिंग हो रही है, मौके पर कुछ व्यक्तियों द्वारा प्लॉटों की बाउन्ड्रीवाल बनाकर छोडी हुई है तथा जगह जगह प्लॉटो के पिल्लर बने हुये है, जौ मौके पर टूटे पडे है । ऐसी स्थिति में कब्जा सम्बन्धित प्लॉट (सह खातेदार) वालों का होना प्रतीत होता है । मौके पर वर्तमान में उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है ।

5. हमने वकील अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार, मण्डाना द्वारा आदेश कमांक/264–65 दिनांक 18.3.1996 के अनुसार नामा0 सं0 48 दिनांक 18.4.1996 को निरस्त कराने हेतु लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है । उक्त आदेश की प्रथम जानकारी 12.5.2003 को सदर कानूनगो के निरीक्षण प्रतिवेदन से होना बताया गया है । अतः न्यायहित में मिमिटेशन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना उचित समझते है ।

6. ग्राम दौलतगंज उर्फ नयागांव तहसील लाडपुरा दिनांक 22.6.1962 को खसरा नम्बर 249 की 15 बीघा भूमि श्री प्रकाश सिंह पुत्र रामकृष्ण कछवाह साकिन

कोटा के नाम आवंटित भूमि का लगभग 34 वर्ष बाद गैर खातेदारी का नामा0 संख्या 45 दिनांक 15.2.1996 को तस्दीक करना तथा भूमि गैर खतेदारी में दर्ज होने के 2 माह पश्चात ही नायब तहसीलदार द्वारा खातेदारी अधिकार आदेश कमांक/264–65 दिनांक 18.3.1996 जारी कर नामा0 सं0 48 दिनांक 18.4.1996 से खातेदारी में दर्ज करना जो उनके अधिकार क्षैत्र में नहीं है, नायब तहसीलदार का उक्त कृत्य गैर कानूनी है । चूंकि नायब तहसीलदार द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी का आदेश दिनांक 18.3.1996 जारी किया गया है उसका उन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिकार प्रदत्त नहीं है ऐसी स्थिति में अधिकार क्षैत्र से परे जाकर आदेश करना गैर कानूनी है ।

7. हम तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से सहमत है कि नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी का आदेश दिनांक 18.3.1996 जारी किया गया है उसका उन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिकार प्रदत्त नहीं है, ऐसी स्थिति में नामा0 संख्या 48 दिनांक 10.4.1996 निरस्त किये जाने योग्य है तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने उपरान्त भी आवंटन के 34 वर्ष बाद आवंटन के अमल का नामान्तकरण स्वीकार करना उचित नहीं है ऐसी स्थिति में नामान्तकरण संख्या 45 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है, किन्तु उक्त नामान्तकरण निरस्त होने के पश्चात भी आवंटित भूमि को गैर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश कमांक/622 दिनांक 14.2.1996 एवं गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देने का नायब तहसीलदार लाडपुरा का आदेश कमांक/264–65 दिनांक 15.3.1996 प्रभावशील रहेंगे, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश भी निरस्त कराना आवश्यक है ।

8. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामा0 सं0 45 दिनांक 15.2.1996 ग्राम दौलतगंज उर्फ नयागांव निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है गैर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश कमांक/622 दिनांक 14.2.1996 एवं गैर खातेदारी से खातेदारी देने का आदेश कमांक/264–65 दिनांक 18.3.1996 को भी निरस्त कराने हेतु प्रकरण की विधि अनुरूप जांच कर उक्त आदेशों को निरस्त कराने की कार्यवाही की जावें । निर्णय की प्रति तहसीलदार लाडपुरा को पालनार्थ भिजवाई जावें ।

9. निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा